

To be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i)]

Government of India

Ministry of Corporate Affairs

NOTIFICATION

New Delhi, 23rd March, 2016

G.S.R. .—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of Section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Incorporation) Rules, 2014, namely:—

1. (1) These rules may be called the Companies (Incorporation) Second Amendment Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Incorporation) Rules, 2014, in the Annexure, for Form No. INC-11, the following form shall be substituted, namely:-

"Form No.INC-11
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
Central Registration Centre

Certificate of Incorporation

[Pursuant to sub-section (2) of section 7 of the Companies Act, 2013 and rule 8 the Companies (Incorporation) Rules, 2014]

I hereby certify that <name of the company> is incorporated on this (i.e. FIRST, SECOND etc.) day of <Month of approval of work item in words> two thousand <YEAR of approval of work item in words> under the Companies Act, 2013 and that the company is <limited by shares/limited by guarantee/unlimited company>.

The CIN of the company is <CIN>.

Given under my hand at < Name of the city where the RoC Office is located > this < Date of approval of the work item in words (i.e FIRST, SECOND etc.)> day of < Month of approval of the work item in words > <YEAR of approval of the work item in words

DSC

<Full name of the Authorising officer approving the work-item>
<Assistant Registrar of Companies/ Deputy Registrar of Companies/ Registrar of Companies>

For and on behalf of the Jurisdictional Registrar of Companies

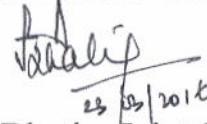
Registrar of Companies
Central Registration Centre

Mailing Address as per the records available in Registrar of Companies office:

< Name of the company >

< Address of the correspondence/registered office of the company >".

[F.No. 01/13/2013 CL-V (Pt-I)]


23/02/2016
Amardeep Singh Bhatia, Joint Secretary.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 250(E) dated 31st March, 2014 and subsequently amended *vide* the following notifications:-

Serial Number	Notification Number	Notification Date
1.	G.S.R. 349 (E)	01-05-2015
2.	G.S.R. 442 (E)	29-05-2015
3.	G.S.R. 99 (E)	22-01-2016

भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, २३ मार्च, 2016

सा.का.नि. (अ).- केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंपनी (निगमन) नियम, 2014 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् -

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (निगमन) दूसरा संशोधन नियम, 2016 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के उपाबंध में प्ररूप संख्या आईएनसी-11 के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् -

प्ररूप संख्या आईएनसी-11

भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

केन्द्रीय रजिस्ट्रीकरण केन्द्र

निगमन का प्रमाण-पत्र

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 7 की उप-धारा (2) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 8 के अनुसरण में]

मैं प्रमाणित करता हूँ कि (कंपनी का नाम) को दो हजार (शब्दों में कार्यमद के अनुमोदन का वर्ष) के (शब्दों में कार्यमद के अनुमोदन का मास) के (प्रथम, द्वितीय आदि) दिन कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निगमित किया जाता है और यह कि शेयर से लिमिटेड/प्रत्याभूति से लिमिटेड/असीमित कंपनी है।

कंपनी का सीआईएन है

दो हजार (शब्दों में कार्यमद के अनुमोदन का वर्ष) के (शब्दों में कार्यमद के अनुमोदन का मास) के (प्रथम, द्वितीय आदि) दिन मुझे (कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालय की अवस्थिति वाले शहर का नाम) मेरे हस्ताक्षर से प्रदत्त की गई है।

डीएससी

(कार्यमद का अनुमोदन करने वाले प्राधिकृत अधिकारी का पूरा नाम)

(सहायक कंपनी रजिस्ट्रार/उप कंपनी रजिस्ट्रार/कंपनी रजिस्ट्रार)

संबंधित अधिकारिता वाले कंपनी रजिस्ट्रार के लिए निमित्त और उनकी ओर से

कंपनी रजिस्ट्रार

केन्द्रीय रजिस्ट्रीकरण केन्द्र

कंपनी रजिस्ट्रार में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार डाक पता

(कंपनी का नाम)

(कंपनी के पत्राचार का पता/रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता)

[फा.सं.01/13/2013-सीएल-V (पार्ट-1)]

अमरदीप
23/05/16

9/

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

टिप्पण - मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, भाग-2, खंड-3, उपखंड (1) में सा.का.नि. संख्या 250(अ) तारीख 31.03.2014 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसमें निम्नलिखित पश्चातवर्ती संशोधन किए गए थे -

क्र.सं.	अधिसूचना संख्या	अधिसूचना की तारीख
1	सा.का.नि.349(अ)	01.05.2015
2	सा.का.नि.442(अ)	29.05.2015
3	सा.का.नि.99(अ)	22.01.2016